न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट) बहराइच।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 186/2019
श्रीमती लखराजा प्रति इब्राहीम आदि
थाना रामगांव, जनपद बहराइच।

18–08–2021

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। पूर्व तिथि पर प्रार्थिनी/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विपक्षीगण के तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थिनी दिनांक 10–07–2019 को मजदूरी करने गयी थी तथा उसकी पुत्री कु0 राधा देवी आयु 19 साल अपने घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस का रहने वाला अभियुक्त सं01 इब्राहीम उसकी पुत्री को घर पर अकेला देखकर जबरिया प्रार्थिनी के घर मे घुस आया और प्रार्थिनी की पुत्री के साथ छेड़ छाड़ करने लगा और उसको जमीन पर पटक कर उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास करने लगा। आगे कहा है कि जब प्रार्थिनी शिकायत करने इब्राहीम के घर गयी तो साहिद, जन्नतुल व इब्राहीम ने प्रार्थिनी को जाति सूचक गाली दी व लात मुक्का व थप्पड़ से मारा पीटा और प्रार्थिनी के कान का बाला भी नोच लिया। पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र के प्रकाश मे मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश संबंधित थाना को दिये जाने हेतु धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के तहत यह प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है, जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा दिनांक 22–08–2019 को परिवाद के रूप मे लिया गया। प्रार्थिनी ने विपक्षीगण को तलब कर दंडित किये जाने की प्रार्थना की है।

परिवादिनी ने अपने केस के समर्थन मे स्वंय का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत तथा अपने साक्षियों राधा (पीड़िता) और श्री देवी का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित कराया है तथा एस0पी0 को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, डाक रसीद व अपनी पहचान के लिये छाया प्रति आधार कार्ड दाखिल किया है।

परिवादिनी द्वारा उल्लिखित तथ्यों के आधार पर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है। इस संबंध मे मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। पक्षकार मुकदमा एक ही गांव के है तथा घटना 4 बजे शाम की बतायी जाती है। परिवादिनी का यह कथन कि विपक्षनी संख्या 3 ने उसके कान का बाला नोच लिया, विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 व साक्षीगण के बयान धारा 202 द0प्र0सं0 के परिशीलन से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 452, 354, 323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) X एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 के विरूद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) X एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। उपरोक्त धाराओं मे संज्ञान लेते हुए विपक्षीगण 1 लगायत 3 को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी इब्राहीम को धारा 452, 354, 323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) X एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा विपक्षीगण साहिद और जन्नतुल को धारा 323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) (1) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के तहत विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाय। धारा 204 (2) द0प्र0सं0 के तहत पैरवी की जाय। लिस्ट गवाहान अन्दर सप्ताह दाखिल की जाय तथा आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 15–09–2021 को पेश हो।

(राकेश कुमार–VI)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट) बहराइच।